फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री चन्दनसिंह **विपक्षी :– राज्य**

किस्म मुकदमा – विविध आ. 9 नि. 4 जा.दी. **पत्रावली संख्या :88/23**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 13.07.2023 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी सं. 1, 2 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त। राजपेरोकार मावली उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी व राजपेरोकार की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी में निहित था। वादी अपने रिश्तेदार की मृत्यु में जाने से व शहर से बाहर होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। दिनांक 12.10.2017 को अधिवक्ता वादी मय वादी की अनुपस्थिति में वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका हैं। राजपेरोकार द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। कृषि भूमि से सम्बन्धित वाद होने से प्रार्थी का हित निहित है। जानकारी में आते ही समयावधि से पूर्व ही वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया है जो अन्दर मयाद होना बताकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल वाद को पुनः नम्बर पर लेने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन से मूल वाद प्रकरण सं. 204/11 अनवान चन्दनसिंह बनाम राज्य दिनांक 12.10.2017 को अधिवक्ता वादी मय वादी अनुपस्थित रहे हैं, जिस कारण दिनांक 12.10.2017 को वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा समयावधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है जो अन्दर मयाद है। प्रकरण पुराना होकर कृषि भूमि से सम्बन्धित होने से वादी को सुना जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 जा.दी. का न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 जा.दी. का 5,00/– अक्षरे पांच सौ रूपये की कोस्ट पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मूल वाद सं. 204/11 अनवान चन्दनसिंह बनाम राज्य में आदेश दिनांक 12.10.2017 को अपास्त किया जाकर मूल वाद को नम्बर पर लिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। उक्त राशि राजकोष में जरिये चालान जमा करा रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Shrikant Vyas Date: 2023.08.29 16:38:26 IST Reason: SelfAttested (श्रीकान्त व्यास) सहायक कलक्टर (SDO)मावली	